भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

संख्या 3/4/2019/एसडीआर/खंड IV

दिनांक: 16 सितंबर, 2020

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: **निर्वाचन लड़ने वाले आपराधिक पूर्ववृत्त वाले व्यक्तियों के संबंध में विवरण प्रकाशित करने की अपेक्षा से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय;**

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान आयोग की पत्र संख्या 3/4/2017/एसडीआर/खंड।।, दिनांक 10.10.2018 तथा दिनांक 19.03.2019 के पत्र की ओर आकृष्ट कराने का निदेश हुआ है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2015 की रिट याचिका संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में निर्णय के अनुसरण में आयोग द्वारा जारी किया गया था। उक्त पत्र में आयोग ने निदेश दिया था कि अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले, चाहे ऐसे मामले लंबित हो या विगत में दोषसिद्धि के मामले हों, और राजनीतिक दल जिन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों को खड़ा किया है, उपर्युक्त पत्र में विहित तरीके से समाचार पत्र और टीवी चैनलों पर एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

2. तत्पश्चात, वर्ष 2011 की रिट याचिका (सी) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सी) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2020 को पारित अपने आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में और आयोग के उपर्युक्त दो पत्रों में दिए गए निर्देशों के अलावा, आयोग ने 6 मार्च, 2020 को अपने पत्र सं. 3/4/2020/एसडीआर/खंड ।।। के जरिए भी यह निदेश दिया है कि सभी राजनैतिक दल जो आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी को खड़ा करते हैं, चाहे उस पर मामले लंबित हों या विगत में वह दोषसिद्ध हुआ हो, वे लोक सभा और राज्य मंडलों के सभी भावी निर्वाचनों में उपर्युक्त सभी निर्देशों का निरपवाद रूप से पालन करेंगे। राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी के रूप में चुने गए आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति से संबंधित सूचना के साथ-साथ ऐसे चयन के कारण सहित बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, इससे संबंधित विवरण अभ्यर्थी का चयन किए जाने के 48 घंटों के भीतर या नामनिर्देशन दायर करने की पहली तिथि से पहले कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और दल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

3. आयोग ने निर्वाचन न लड़े निर्वाचित अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया है और निदेश दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यथा विहित रीति से अपने आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रचार करना आवश्यक होगा।

4. आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे विवरण प्रकाशित करने के प्रयोजन से प्रचार अभियान के दौरान आपराधिक मामलों के संबंध में विवरण तीन अवसरों पर प्रकाशित किया जाना है। अब आयोग ने मामले पर विचार किया है और निदेश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि को निम्नलिखित तरीके से तीन खंडों में रखा जाएगा ताकि निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिले:

क. प्रथम प्रचार: अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर
ख. दूसरा प्रचार: अगले 5 से 8 दिनों के बीच
ग. तीसरा प्रचार: 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान के दिन से पहले दो दिन तक)

(व्याख्या: यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि महीने का 10वां दिन है और मतदान महीने के 24वें दिन है तो घोषणा प्रकाशन के लिए पहला खंड महीने के 11वें से 14वें दिन के बीच किया जाएगा, दूसरा और तीसरा क्रमशः महीने के 15वें और 18वें दिन के बीच और 19वें और 22वें दिन के बीच किया जाएगा।)

5. आयोग के पत्र में उल्लिखित पैरा 1 और 2 में यथा पहले अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

6. निर्वाचन खर्च का लेखा दाखिल करते समय आपराधिक पूर्ववृत्त, यदि कोई हो, संबंधी अनुदेशों का प्रचार करने से संबंधित विवरण विहित प्रारूप (सी-4) में प्रदान किया जाएगा। राज्य सभा या राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन के लिए आरओ को ये विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. यह भी उल्लेखनीय है कि जहां तक राजनैतिक दलों का संबंध है, दिनांक 6 मार्च, 2020 के आयोग के पत्र संख्या 3/4/2020/एसडीआर/खंड III के तहत प्रेषित माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के संदर्भ में उनके द्वारा चयनित अभ्यर्थी के संबंध में विवरणों का प्रकटन किया जाना बाध्यकारी होगा, भले ही आवेदन के दौरान और/या उसके अभ्यर्थन वापस लेने के कारण उसका अभ्यर्थन अस्वीकृत हो जाता है, का भी अनुपालन इस संबंध में किया जाए।

8. यह पुनः दोहराया जा सकता है कि उक्त आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन से संबद्ध अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा किए गए सभी खर्च निर्वाचन के लिए किए गए व्यय माने जाएंगे। इस संबंध में आयोग के 19 मार्च, 2019 के पत्र सं. 3/4/3029/एसडीआर/खंड-I का अवलोकन किया जा सकता है।

9. आयोग द्वारा यथा विहित विद्यमान प्रारूपों को सुसंगत बनाने के लिए और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रारूप सी1, सी2, और सी3 को उपयुक्त दिशानिर्देशों को जोड़कर संशोधित किया गया है जो संलग्न हैं।

10. इस पत्र को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों को उनकी ओर से की जाने वाली कार्रवाई के लिए परिचालित किया जा सकता है। इसे राज्य आधारित रजिस्टर्ड दल की राज्य इकाई तथा अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों तथा आपके राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में स्थित मुख्यालय वाले सभी रजिस्टर्ड गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को भी इस अनुरोध के साथ परिचालित किया जाएगा कि सभी भावी निर्वाचनों में दलों और उनके अभ्यर्थियों दोनों द्वारा उक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

11. कृपया इसकी पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

(एन.टी. भूटिया)
सचिव

प्ररूप सी-1

(समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता: _____

राजनैतिक दल का नाम: _____

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम: _____

•निर्वाचन क्षेत्र का नाम: _____

मैं _____ (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता/करती हूं:

(क)	लंबित आपराधिक मामले			
क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (लों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा(एँ) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण

(ख)	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण		
क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड

•राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

नोट:

1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में होगा।

2. समाचार-पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फॉट के आकार में प्रकाशित कराई जाएगी।

3. प्रत्येक मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए।

4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचित करना आवश्यक होगा।

5. जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, अभ्यर्थी तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वे निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित फार्मेट-सी-4 में मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। (क) लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामले में इसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, (ख) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों के मामलें में इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररूप सी-2

(राजनैतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार-पत्रों/टी वी में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: _____

•निर्वाचन का नाम: _____

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम: _____

1.	2.	3.	4.		5.		
क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(क) लंबित आपराधिक मामले		(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामला (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (धों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख (तारीखें)	अपराध(धों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड

*राज्य सभा के निर्वाचन अथवा विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

नोट:-

1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के विवरण मोटे अक्षरों में होंगे।

2. समाचार-पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फॉट के आकार में प्रकाशित कराई जाएगी।

3 उपर्युक्त सूचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यवार प्रकाशित की जाएगी।

4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशिष्ट दल की टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना देने की आवश्यकता होगी।

5. राजनैतिक दल आपराधिक पूर्ववृत वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना दल की वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होंगे।

6. राजनैतिक दल संबंधित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन की रिपोर्ट फार्मेट ई-5 में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्ररूप सी -3
(अभ्यर्थी को अनुस्मारक)

रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय

निर्वाचन क्षेत्र का नाम :.....
राज्य का नाम :.....
निर्वाचन का नाम :.....

यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय एवं आयोग के दिनांक 10.10.2018 के पत्र सं. 3/ईआर/2018/एसडीआर में दिए गए निदेशों के अनुसार, आपराधिक मामले - चाहे लंबित मामले या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के दौरान, तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करना आवश्यक है। टीवी चैनलों में प्रकाशन की घोषणा मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

चूंकि आपने, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री..... (अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख करें), प्ररूप-26 की मद सं. 5/6 में आपराधिक मामलों के बारे में सूचना की घोषणा की है, अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित होने वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों में इस जानकारी को प्रत्येक में कम से कम तीन अवसरों पर प्रकाशित करें। जानकारी प्रकाशित करने के लिए फार्मेट सी-1 इसके साथ संलग्न है। जैसे ही आपराधिक मामलों की घोषणा प्रकाशित हो जाती है, आप इसकी रिपोर्ट तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त, आप निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखा सहित आपराधिक मामलों की सूचना प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों की प्रतियों के साथ फार्मेट सी-4 में मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। (क) लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामले में इसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, (ख) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के निर्वाचनों के मामले में इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

तारीख :

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

टिप्पणी: इसकी एक प्रति अभ्यर्थी को दी जानी चाहिए और एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए।